# कार्यान्वयन सारांश

१.१ जयगड पॉवरट्रान्सको लिमिटेड (जेपीटील) हा जेएस्डब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड (जेएसडब्ल्यूईएल) आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि. (एमएसईटीसीएल) यांच्यामध्ये विद्युत पारेषण प्रणाली विकसित करणे, कार्यान्वयन करणे आणि देखरेख करणे यासाठी चालविलेला संयुक्त उपक्रम असून त्यामध्ये खालील वर्णनाच्या दोन पारेषण (ट्रान्समिशन) लाईन्स आणि त्यासोबत येणारी साधनसामुग्री/टर्मिनल बेज यांचा समावेश असेल.

**तक्ता १ : जेपीटीलच्या प्रस्तावित पारेषण प्रणालीचा तपशील**

| लाईनचे नांव | लाईनची लांबी आणि क्षमता | जिल्हा | इंटरफेस पॉइंट |
|---|---|---|---|
| जयगड-नवीन कोयना ट्रान्समिशन लाईन | ५५ किमी-४०० किलोवॅट डबल सर्किट (क्वॉड) ट्रान्समिशन लाईन | रत्नागिरी, महाराष्ट्र | एमएसईटीसीएल उपकेंद्र नवीन कोयना |
| जयगड-कराड ट्रान्समिशन लाईन | ११० किमी-४०० किलोवॅट डबल सर्किट (क्वॉड) ट्रान्समिशन लाईन | रत्नागिरी/सातारा, महाराष्ट्र | एमएसईटीसीएल उपकेंद्र कराड |

१.२ एकूण समभागाच्या २६% समभाग एमएसईटीसीएल चे असतील व उर्वरित ७४% समभाग जेएसडब्ल्यूईएल चे असतील अशा आशयाचा संयुक्त उपक्रम करारनामा जेएसडब्ल्यूईएल व एमएसईटीसीएल यांच्यामध्ये दिनांक ०५ ऑगस्ट २००८ रोजी करण्यात आला.

१.३ मा.आयुक्त यांचेकडून जेपीटीलला त्यातील संबंधित पायाभूत बांधकामांसहित उपरोक्त विद्युत पारेषण प्रणाली विकसित करणे, कार्यान्वयन करणे आणि देखरेख करणे यासाठीचा २५ वर्षे कालावधीसाठी पारेषण परवाना (परवाना क्र.१ सन २००८) दिनांक ८ फेब्रुवारी २००९ प्रदान करण्यात आला आहे.

१.४ ४०० किलोवॅट डी/सी (क्वॉड) जयगड-नवीन कोयना पारेषण लाईन दिनांक ०७ जुलै,२०१० रोजी कार्यान्वित करण्यात आली आणि ४०० किलोवॅट डी/सी (क्वॉड) जयगड-कराड पारेषण लाईन दिनांक ०२ डिसेंबर २०११ रोजी कार्यान्वित करण्यात आली.

## १.५ वित्तीय वर्ष २०१४-१५साठी ट्रु-अप.

१.५.१ जेपीटीलने वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या ट्रु-अप चा एक भाग म्हणून वित्तीय वर्ष २०१४-१५ साठी एकूण आवश्यक महसूल सुनिश्चित केला आहे. वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या लेखा परीक्षण केलेल्या वार्षिक वित्तीय पत्रकांच्या आधारावर प्रत्यक्ष खर्चाचे घटक सादर केले आहेत. वित्तीय वर्ष २०१४-१५च्या चॅप्टर ट्रु-अप मध्ये मा.आयुक्त यांनी मान्यता दिलेल्या मूल्यांशी खर्चाच्या विविध घटकांची केलेली विस्तृत तुलना दिलेली आहे. खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या ट्रु-अप साठी प्रस्तावित केलेल्या एकूण आवश्यक महसूलाच्या मंजूर केलेल्या मूल्याशी वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या एकूण आवश्यक महसूलाशी केलेल्या तुलनेचा सारांश दिलेला आहे. मा. आयुक्त यांनी दिनांक २६ जून २०१५ रोजी पारित केलेल्या एमटीआर ऑर्डर मधून वित्तीय वर्ष २०१४-१५ साठी मंजूर केलेला एकूण आवश्यक महसूल घेतलेला आहे.

**तक्ता २ : वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या ट्रु-अप चा सारांश**

| अ. क्र. | तपशील | एमटीआर ऑर्डर | जेपीटीएल चा विनंती अर्ज | नफा/तोटा वाटणी झाल्यानंतर उरणारी निव्वळ पात्रता | विचलन |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कार्यान्वयन आणि देखरेख खर्च | ६.५१ | ३.२७ | ५.४३ | -१.०८ |
| २ | घसारा | २९.३४ | २९.३४ | २९.३४ | ०.०० |
| ३ | दीर्घमुदत कर्जावरील व्याज | ३७.७९ | ३८.२० | ३८.२० | ०.४१ |
| ४ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | २.०२ | १.९६ | २.०० | -०.०२ |
| ५ | इतर खर्चासाठी राखीव तरतूद | १.३९ | १.३९ | १.३९ | ०.०० |
| ६ | आयकर खर्च | ६.२१ | ६.५९ | ६.५९ | ०.३८ |
| ७ | **एकूण महसूली खर्च** | ८३.२६ | ८०.७४ | ८२.९४ | -०.३२ |
| ८ | समभाग भांडवलावरील परतावा | २१.६३ | २१.६३ | २१.६३ | ०.०० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ९ | **एकूण आवश्यक महसूल** | १०४.८९ | १०२.३६ | १०४.५७ | -०.३२ |
| १० | वजा : टॅरिफ व्यतिरिक्त मिळकत | ०.३२ | ०.३२ | ०.३२ | ०.०० |
| ११ | वजा : अन्य व्यवसायातून मिळालेले उत्पन्न | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| १२ | अधिक : प्रोत्साहन भत्ता | ०.०० | १.७४ | १.७४ | १.७४ |
| १३ | अधिक : वहन खर्च | ०.०० | ०.४७ | ०.४७ | ०.४७ |
| १४ | **रिटेल टॅरिफ साठी आवश्यकएकूण महसूलाची आवश्यकता** | १०४.५७ | १०४.२५ | १०६.४६ | १.८९ |

१.५.२ एमवायटी अधिनियम २०११ च्या तरतूदींच्या आधारे जेपीटीएलने नियंत्रणक्षम व अनियंत्रणक्षम मानदंडांच्या बाबतीतील फायदे आणि तोटे यांची मांडणी केली आहे आणि त्यांच्या भागधारणेची यंत्रणा प्रस्तावित केली आहे. खालील तक्त्यामध्ये याबाबतचा सारांशदिलेला आहे.

**तक्ता ३ : वित्तीय वर्ष २०१४-१५ साठी नफा/तोटा यांची विभागणी**

| तपशील | एमवायटी ऑर्डर | प्रत्यक्ष | बदल | जेपीटीएलने ठेवावयाचे २/३ कौशल्याधिष्ठीत फायदे | नफा/तोटा वाटणी झाल्यानंतर उरणारी निव्वळ पात्रता |
|---|---|---|---|---|---|
| कार्यान्वयन आणि देखरेख खर्च | ६.५१ | ३.२७ | ३.२४ | २.१६ | ५.४३ |
| खेळत्या भांडवलाचे व्याज | २.०२ | १.९६ | ०.०७ | ०.०४ | २.०० |

**१.६ वित्तीय वर्ष २०१५-१६ साठी वार्षिक कार्यप्रणालीचा आढावा**

१.६.१ एमईआरसी एमवायटी अधिनियम २०११ च्या आधारे पारेषण परवानाधारकांच्या प्रत्यक्ष कार्यपध्दतीची मंजूर झालेल्या मिडटर्म आढाव्याशी तुलना करुन वार्षिक कार्यप्रणालीचा आढावा घेण्यात आला.वित्तीय वर्ष २०१४-१५ साठी एकूण आवश्यक महसूलाचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये दर्शविलेला आहे.

**तक्ता ४ : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ साठी एकूण आवश्यक महसूलाच्या आढाव्याचा सारांश**

| **तपशील** | **एमटीआर ऑर्डर** | **वित्तीय वर्ष २०१५-१६ (प्रत्यक्ष) सहामाही १** | **वित्तीय वर्ष २०१५-१६ (अंदाजित) सहामाही २** | **वित्तीय वर्ष २०१५-१६ (अंदाजित) एकूण** |
|---|---|---|---|---|
| कार्यान्वयन आणि देखरेख खर्च | ६.८६ | ३.४३ | ३.४३ | ६.८६ |
| घसारा | २९.३४ | १४.६७ | १४.६८ | २९.३५ |
| दीर्घमुदत कर्जावरील व्याज | ३४.४२ | १७.८२ | १६.९७ | ३४.७९ |
| खेळत्या भांडवलावरील व्याज आणि पारेषण यंत्रणा वापरकर्त्यांकडून अनामत | २.४८ | १.४७ | १.४७ | २.९४ |
| इतर खर्चासाठी राखीव तरतूद | १.३९ | ०.६९ | ०.६९ | १.३९ |
| आयकर | ६.२१ | १३.७३ | ०.०० | १३.७३ |
| **एकूण महसुली खर्च** | ८०.७० | ५१.८३ | ३७.२५ | ८९.०७ |
| समभाग भांडवलावरील परतावा | २१.६३ | १०.८१ | १०.८१ | २१.६३ |
| **एकूण आवश्यक महसूल** | १०२.३२ | ६२.६४ | ४८.०६ | ११०.७० |
| वजा : टॅरिफ व्यतिरिक्त मिळकत | १७.१७ | ०.२२ | ०.२२ | ०.४४ |
| वजा : अन्य व्यवसायातून मिळालेले उत्पन्न | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| **एकूण निंव्वळ आवश्यक महसूल** | ८५.१५ | ६२.४२ | ४७.८४ | ११०.२६ |

**तक्ता-५ : वित्तीय वर्ष २०१४-१५ ची महसुली तफावत**

| तपशिल | जेपीटीएलची याचिका (रूपये कोटीमध्ये) |
|---|---|
| याचिकेनुसार निव्वळ आवश्यक महसुल | १०५.९९ |
| वहन दरपत्रकाप्रमाणे वसुल एकूण महसुली खर्च | १०१.९४ |
| महसुली तफावत | ४.०५ |
| वहन खर्च | ०.४७ |
| **वहन खर्च धरून येणारा एकूण परिणाम** | ४.५२ |

**तक्ता-६ : वित्तीय वर्ष २०१४-१५ ची महसुली तफावत**

| तपशिल | जेपीटीएलची याचिका (रूपये कोटीमध्ये) |
|---|---|
| याचिकेनुसार निव्वळ आवश्यक महसुल | ११०.२६ |
| एमटीआर ऑर्डरनुसार मंजूर एकूण महसुली खर्च | ८५.१५ |
| महसुली तफावत | २५.११ |

**१.७ वित्तीय वर्ष २०१६-१७ ते वित्तीय वर्ष २०१९-२० च्या नियंत्रित कालावधीसाठी बहुवर्षीय भाडयाची मागणी**

१.७.१ एमईआरसी एमवायटी अधिनियम २०११ च्या आधारे जेपीटीएलने वित्तीय वर्ष २०१६-१७ ते वित्तीय वर्ष २०१९-२० च्या तिसऱ्या नियंत्रित कालावधीसाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. या नियंत्रित कालावधीसाठीचा एकूण आवश्यक महसूलाचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये दर्शविलेला आहे.

**तक्ता ७ : वित्तीय वर्ष २०१६-१७ ते वित्तीय वर्ष २०१९-२० च्या नियंत्रित कालावधीसाठी एकूण आवश्यक महसूलाचा सारांश**

| तपशील | वित्तीय वर्ष २०१६-१७ (प्रस्तावित) | वित्तीय वर्ष २०१७-१८ (प्रस्तावित) | वित्तीय वर्ष २०१८-१९ (प्रस्तावित) | वित्तीय वर्ष २०१९-२० (प्रस्तावित) |
|---|---|---|---|---|
| कार्यान्वयन व देखरेख खर्च | ४.३५ | ४.५७ | ४.७९ | ५.०२ |
| घसारा | २९.३९ | २९.४२ | २९.४२ | २९.४१ |
| दीर्घमुदत कर्ज भांडवलावरील | ३०.३६ | २७.१४ | २३.८४ | २०.५४ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| व्याज | | | | |
| खेळत्या भांडवलावरील व्याज आणि पारेषण यंत्रणा वापरकर्त्यांकडून अनामत | १.९२ | १.८८ | १.८४ | १.८० |
| इतर खर्चासाठी राखीव तरतूद | १.३९ | १.३९ | १.३९ | १.३९ |
| आयकर | ६.२६ | ६.२७ | ६.२७ | ६.२७ |
| **एकूण महसूली खर्च** | **७३.६७** | **७०.६८** | **६७.५५** | **६४.४४** |
| समभाग भांडवलावरील परतावा | २१.६८ | २१.७२ | २१.७२ | २१.७२ |
| **एकूण आवश्यक महसूल** | **९५.३४** | **९२.४०** | **८९.२८** | **८६.१६** |
| वजा : टॅरिफ व्यतिरिक्त मिळकत | ०.५५ | ०.६७ | ०.७९ | ०.९० |
| वजा : इतर व्यवसायातील मिळकत | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| **एकूण निव्वळ आवश्यक महसूल** | **९४.७९** | **९१.७३** | **८८.४९** | **८५.२६** |
| अधिक : वित्तीय वर्ष २०१४-१५ चा महसूली वहन खर्च तफावत | ४.५२ | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| **अधिक :** वित्तीय वर्ष २०१५-१६ ची महसूली तफावत | २५.११ | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| **एकूण आवश्यक महसूल** | **१२४.४२** | **९१.७३** | **८८.४९** | **८५.२६** |

**१.८ अर्जदार या विनंती अर्जाद्वारे मा.आयुक्त यांचेकडे नम्र विनंती करतात की :**

१.८.१ वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या एकूण आवश्यक महसूलाच्या ट्रुईंग-अपसाठी अर्ज दाखल करुन घेण्यातयावा.

१.८.२ या विनंती अर्जामध्ये सादर केल्यानुसार वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या प्रस्तावित एकूण आवश्यक महसूलाच्या अंदाजपत्रकास/प्रस्तावास मान्यता देण्यात यावी.

१.८.३ वित्तीय वर्ष २०१६-१७ ते २०१९-२० यातील वर्षांच्या नियंत्रित कालावधीसाठीच्याएकूण आवश्यक महसूलाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात यावी.

१.८.४ वित्तीय वर्ष २०१५-१६ च्या वसुलीसह महसूलाच्या आवश्यकतेला मा.आयुक्त यांच्या इन्ट्रा स्टेट ट्रान्समिशन आदेशानुसार मंजूरी मिळावी.

१.८.५ नजरचुकीने काही चुका झाल्या असल्यास, कमतरता असल्यास किंवा लिहावयाचे राहून गेले असल्यास ते क्षमापित करुन जेपीटीएलला त्या माहितीमध्ये वाढ/बदल/परिवर्तन करण्यास व सदर माहिती आवश्यक त्या बदलासह भविष्यात पुन्हा सादर करण्याची परवानगी देण्यात यावी आणि

१.८.६ प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीला पूरक आणि आवश्यक असे अन्य आदेश व्हावेत.